[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 24 /2019- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं.6क के सामने, स्तम्भ (3) में, मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु मद (क) और मद (ख) में वर्णित प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित मालों को लागू नहीं होगी, अर्थात्:-

(i) कनेक्टर;

(ii) माइक्रोफोन;

(iii) रिसीवर;

(iv) स्पीकर; और

(v) सिम सॉकेट";

(ii) क्रम सं.11 और क्रम सं.12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं.13 के सामने, स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"निम्नलिखित मालों के चार्जर या एडाप्टर से भिन्न सभी माल, अर्थात्: -

(i) सेल्यूलर मोबाइल फोन;

(ii) सीसीटीवी कैमरा;

(iii) आईपी कैमरा;

(iv) डिजिटल वीडियो रिकार्डर (डीवीआर);

(v) नेटवर्क विडियो रिकार्डर (एनवीआर)" ।

[फा.सं. - 334/3/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं.57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 798 (अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.2/2019-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 60(अ) तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।